

अध्याय ॥ - इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी के व्यवसाय संचालन को पूरा करने के लिए संगठन की नीति के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं।

चूंकि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है, इसके निदेशकों की शक्तियाँ और कर्तव्य और इसके व्यवसाय का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के ज्ञापन और लेखों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है। कंपनी की एसोसिएशन और विभिन्न कानूनों के तहत अन्य अधिनियम।

कंपनी के मामलों के प्रबंधन की शक्तियाँ निदेशक मंडल के पास हैं। निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए बोर्ड में निहित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, जिसके लिए बोर्ड या भारत के राष्ट्रपति या शेयरधारकों की मंजूरी होती है। जैसा भी मामला हो, आवश्यक होगा। बदले में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी के अधिकारियों को एक निश्चित सीमा तक विभिन्न शक्तियाँ सौंपी हैं।